न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 25/2022

1. ज्योत्शना पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 41 साल जाति स्वामी नि0 2173ए सुशान्त लोक 1, सी ब्लॉक गल्लेरिया डी एलएफ फोर गुडगांव फरुख नगर राज्य हरियाणा।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बस्सीनागा पंचायत समिति जोबनेर, तहसील जोबनेर जिला जयपुर जरिये–सरपंच
2. बाबूलाल पुत्र कालूराम जाति जाट नि0 भांकरोटा जयपुर हाल नि0 टोडावता की ढाणी जाट कॉलोनी अजमेर रोड भांकरोटा तह0 सांगानेर जि0 जयपुर।

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1341 आदेश दिनांक 20/5/2022 ग्राम पंचायत बस्सी नागा तहसील जोबनेर

1. श्री प्रेमचन्द भहडा वकील अपीलान्ट

दिनांक :– 31/05/2024

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी ख0न0 157/1 रकबा 15.1234 है0, वाके ग्राम बस्सीनागा पटवार हल्का बस्सी नागान भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तहसील फुलेरा वर्तमान तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमे खातेदार प्रत्यर्थी सं02 बाबूलाल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी भांकरोटा जयपुर हाल निवासी टोडावता की ढाणी जाट कॉलोनी अजमेर रोड भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का 5/72 हिस्सा है इसी प्रकार आराजी खं0नं0 147 रकबा 4.2993 है0 वाकै ग्राम बस्सीनागा पटवार हल्का बस्सी नागान भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तहसील फुलेरा वर्तमान तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमे खातेदार बाबूलाल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी भांकरोटा जयपुर हाल निवासी टोडावता की ढाणी जाट कॉलोनी अजमेर रोड भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का 5/72 हिस्सा है। खातेदार बाबूलाल ने अपनी आराजी खं0नं0 157/1 मे अपने सम्पूर्ण 5/72 हिस्से व खं0नं0 147 में अपने सम्पूर्ण 5/72 हिस्सा मय निर्मित बोरिंग को जरिये एक ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई थी। जिसका रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31/1/2022 जो की

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते

पुस्तक सं01 जिल्द सं0 713 में पृष्ठ सं0 194 कम सं0 202203302100709 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं01667 के पृष्ठ सं0 385 से 393 पर चस्पा किया गया है के जरिये अपीलार्थी को बेचान कर दिया और कब्जा भी अपीलार्थी / विक्रेता को उसकी समय खातेदारी केता प्रत्यर्थी सं02 बाबूलाल ने सुपुर्द कर दिया। तव से अपीलार्थी अपने द्वारा क्रय की गयी भूमि पर काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अपीलार्थी ने रजि0विक्रय विलेख दिनांक 31 / 1 / 2022 के आधार पर अपने द्वारा क्रय की गई भूमि का नामांतकरण खुलवाने के लिए समस्त दस्तावेजात सहित पटवारी हल्का को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पटवारी हल्का ने नामांतकरण सं0 1341 दिनांक 26 / 3 / 2022 भरकर ग्राम पंचायत बस्सीनागा के समक्ष पेश किया। जिस पर अपीलार्थी नोटिस दिनांक 9 / 5 / 2022 जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी अपने पति के साथ ग्राम पं0 मे दिनांक 20 / 5 / 2022 को समस्त मूल दस्तावेजात के साथ उपस्थि होकर अपने दस्तावेज पेश किये और ग्राम पं0 सरपंच द्वारा मूल दस्तावेजो का अवलोकन कर मूल दस्तावेजो की प्रति चाही तो अपीलार्थी ने मूल दस्तावेजो की प्रति भी ग्राम पं0 के समक्ष पेश कर दी। जिस पर ग्राम पं0 सरपंच ने अपीलार्थी को यह आश्वस्त किया कि इन दस्तावेजो की प्रति मैने तुमसे प्राप्त कर ली आज कोरम की मिटिंग होगी जिसमे तुम्हारे पक्ष मे नामांतकरण तस्दीक कर दिया जावे। जिससे आप राजस्व रिकोर्ड जमावंदी मे खातेदारी काश्तकार हो जायेगी। जिस पर विश्वास करते हुये अपीलार्थी अपने पति के साथ वापिस आ गयी। किन्तु इसके पश्चात भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति बताते हुये नामांतकरण सं0 1341 दिनांक 20 / 5 / 2022 को खारिज कर दिया तथा नामांतकरण पर यह नोट अंकित किया कि – बैठक दिनांक 20 / 5 / 2022 में दोनो पक्षकार उपस्थित नही हुये। कोरम मे नामांतकरण से सहमति नही वन पायी। नामांतकरण खारिज योग्य।

अपीलार्थी ने एक ही विक्रय पत्र से आराजी खं0नं0 157 / 1 व ख0न0 147 वाकै ग्राम बस्सीनागा की आराजीयात में से विक्रेता रेस्पोडेंट सं02 का सम्पूर्ण हिस्सा कमशः 5 / 72, 5 / 72 हिस्सा खरीद किया गया था। जिसका एक ही नामांतकरण भरा जाना चाहिए था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा केवल मात्र ख0न0 157 / 1 का ही नामांतकरण भरा गया जिसको कोरम मे केवल मात्र 157 / 1 को नामांतकरण भरा हुआ पेश किया। जिसको भी ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानो के विरूद्व जाकर खारिज योग्य मानते हुये अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपने आदेश मे यह नोट अंकित किया है कि दोनो पक्षकार उपस्थित नही हुये है जबकि अपीलार्थी उपस्थित हुई थी और विक्रेता ने अपने बेचान पत्र के संबंध मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी ग्राम पं0 के सक्षम प्रस्तुत नहीं की थी। इसके बावजूद भी मनमर्जी से अपीलार्थी का नुकसान पहुचाने की गरज से अपीलार्थी के उपस्थित होते हुये भी अनुपस्थित बताते हुये नामांतकरण को अस्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिंद्वांतो के विपरीत होने से उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 20 / 5 / 2022 को निरस्त किया जाकर नामांतकरण सं0 1341 दिनांक 26 / 03 / 2022 को स्वीकार फरमाया जाकर बेचान पत्र दिनांक 31 / 1 / 2022 के आधार पर वाके ग्राम बस्सीनागा पटवार हल्का

बस्सी नागान भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर की आराजी ख0न0 157/1 रकबा 15.1234 है0 मे 5/72 हिस्से का तथा ख0न0 147 रकबा 4.2993 है0 मे 5/72 हिस्से की खातेदारी का अमल दरागद अपीलार्थी के हक किये जाने के ओदश दिये जाने कृपा करे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 1341 आदेश दिनांक 20/05/2022 को खारिज किया गया, को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट ने आराजीयात खसरा नंबरान ख0न0 157/1 रकबा 15.1234 है0 मे 5/72 हिस्से का तथा ख0न0 147 रकबा 4.2993 है0 मे 5/72 हिस्सा वाके ग्राम बस्सी नागा तह0 जोबनेर की भूमि को तय शुदा प्रतिफल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय किया है एवं विक्रेतागण ने विक्रय किये गये भौतिक भाग का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया है, जिसका विवरण विक्रय विलेख मे अंकित है। बेचान तय शुदा प्रतिफल अदा होने पर उपपंजियक ने निष्पादित कर पंजियन किया है एवं राजस्व अधिकारी की जाचं रिपोर्ट ग्राम पंचायत बस्सी नागा द्वारा स्वीकार की गयी है एवं बिना किसी अधिकार के विक्रय पत्र के नामांतरण को सहखातेदारों द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति करने के कारण आगामी बैठक में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु पाबंद किया तथा दिनांक 20.05.2022 को पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने के कारण कोरम में नामान्तरण में सहमति नहीं बनने से नामान्तरण खारिज कर दिया गया।

बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नामान्तरण संख्या 1341 आदेश दिनांक 20/05/2022 को विद्यि विरूद्ध रूप से खारिज किया, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अधिनस्थ ग्राम पंचायत के नामान्तरण संख्या 1341 आदेश दिनांक 20/05/2022 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1341 आदेश दिनांक 20/05/2022 सरपंच ग्राम बस्सी नागा तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 31/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)